

जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जमुई।

गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु आम सूचना

बिहार गृह रक्षा वाहिनी में स्वच्छ नामांकन हेतु मात्र विज्ञापन सं० 01/2009 में जमुई जिला के लिए विज्ञापित रिक्ति के विरुद्ध नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित अर्हता के साथ प्रखंडवार निम्नांकित तिथि को मलयपुर स्थित पुलिस केन्द्र, जमुई में होगी :-

क्र०	प्रखंड	नामांकन हेतु निर्धारित तिथि	निबंधन का समय	शारीरिक सक्षमता की जाँच का समय
1	2	3	4	5
1	जमुई एवं खैरा	26.09.2016	08:00 बजे पूर्वाह्न से	10.00 बजे पूर्वाह्न से
2	सिकन्दरा, ई० अलीगंज, गिद्धौर, लक्ष्मीपुर एवं झांझा	27.09.2016	तथैव	तथैव
3	बरहट, सोनो, चकाई एवं जमुई तथा झांझा शहरी और महिला	28.09.2016	तथैव	तथैव
4	उपरोक्त तिथियों को अनुपस्थित आवेदक के लिए	29.09.2016	तथैव	तथैव

अतः सभी आवेदक को सूचित किया जाता है कि निर्धारित उपरोक्त तिथि को मलयपुर स्थित पुलिस केन्द्र, जमुई में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आवेदन पत्र की पावती पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो के साथ उपस्थित हो।

नामांकन हेतु सभी आवेदकों का बायोमैट्रिक उपस्थिति (अगूठे की छाप) ली जाएगी।

शारीरिक सक्षमता की जाँच के क्रम में पुरुषों को 06 (छः) मिनट में एक मील एवं महिलाओं को 800 (आठ सौ) मीटर की दौड़ 05 मिनट के अन्दर पूरी करनी होगी। अधिक समय लेने वाले असफल घोषित होंगे तथा उनका अन्य सभी शारीरिक सक्षमता जाँच नहीं किया जायेगा।

नामांकन के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य का चिकित्सकीय परीक्षण किया जायेगा। आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, फ्लैट फूट, नाँकिंग नी इत्यादि की जाँच की जायेगी। योग्य पाये जाने वाले का ही यथानियम नामांकन किया जायेगा।

गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन एवं चयन इस शर्त के साथ किया जायेगा कि वे कम से कम तीन वर्षों की सेवा गृह रक्षा वाहिनी, बिहार को देंगे। तदनुसार चयनोपरांत उन्हें बॉण्ड भरना होगा।

विस्तृत चयन संबंधी अर्हतायें, प्रखंडवार रिक्तियाँ एवं अन्य विवरणी जिला के बेवसाईट www.jamui.bih.nic.in तथा जिला पदाधिकारी कार्यालय, जमुई, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जमुई, अनुमंडल कार्यालय, जमुई जिला समादेष्टा कार्यालय, जमुई एवं जमुई जिला के सभी प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपलब्ध होगी।


विज्ञापन सं० 02/2011 में जमुई जिला के लिए विज्ञापित रिक्ति के विरुद्ध नामांकन की प्रक्रिया इस नामांकन प्रक्रिया के बाद प्रारंभ की जाएगी।

Kanwal
07/9/12
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
गृह रक्षक चयन समिति, जमुई।

गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु आम सूचना

बिहार गृह रक्षा वाहिनी में ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या-01/2009 में जमुई जिला के लिए विज्ञापित रिक्ति को वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर बाँटा गया है। प्रखंडवार रिक्ति निम्न प्रकार है :-

क्र०	प्रखंड	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	रिक्ति
1	2	3	4
ग्रामीण			
1	ई० अलीगंज	1,13,250	10
2	सिकन्दरा	1,22,517	11
3	जमुई	1,14,430	11
4	खैरा	1,77,008	16
5	बरहट	74,385	07
6	गिद्धौर	60670	06
7	झाझा	1,79,104	17
8	सोनो	1,68,289	16
9	चकाई	1,87,034	17
10	लक्ष्मीपुर	98,865	09
कुल-			120
शहरी			
11	जमुई एवं झाझा शहरी	1,03,244	16
कुल-			16


 10/9/16
 जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
 गृह रक्षक चयन समिति,
 जमुई।

बिहार गृह रक्षा वाहिनी में स्वच्छ नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2009

गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 254/गृ0स0को0 दिनांक 25.02.06 द्वारा जिलावार स्वीकृत बल के 20% नये ग्रामीण एवं शहरी गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु निर्गत निदेश के आलोक में 1708 शहरी एवं 9214 ग्रामीण कुल 10922 (दस हजार नौ सौ बाईस) गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या 01/06 द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। जिलावार नामांकन के उपरान्त निम्नांकित रिक्तियां शेष हैं जिसके लिये इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्रमांक	जिला का नाम	रिक्तियाँ			अभ्युक्ति
		ग्रामीण	शहरी	योग	
1.	पटना	150	427	577	
2.	नालन्दा	152	77	229	
3.	रोहतास	265	25	290	
4.	गया	136	66	202	
5.	नवादा	73	06	79	
6.	जहानाबाद	48	12	60	
7.	अरवल				
8.	औरंगाबाद	68	15	83	
9.	मुजफ्फरपुर	227	78	305	
10.	वैशाली	189	24	213	
11.	सीतामढ़ी	295	18	313	
12.	शिवहर	52	9	61	
13.	सारण	157	24	181	
14.	सिवान	176	19	195	
15.	गोपालगंज	53	9	62	
16.	मोतिहारी	327	15	342	
17.	बेतिया	162	35	197	
18.	दरभंगा	227	81	308	
19.	समस्तीपुर	344	18	362	
20.	मधुबनी	283	27	310	
21.	पूर्णिया	163	45	208	
22.	कटिहार	215	36	251	
23.	अररिया	38	6	44	
24.	किशनगंज	93	18	111	
25.	सहरसा	70	27	97	
26.	मुंगेर	49	25	74	
27.	जमुई	120	16	136	
28.	लखीसराय	26	12	38	
29.	शेखपुरा	26	2	28	
	कुल रिक्तियाँ	4184	1172	5356	

नोट:- रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

1) प्रखण्डवार स्वीकृत बल के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन किया जाना है। ऊपर वर्णित कुल संख्या के अंदर प्रत्येक प्रखण्ड के लिए ग्रामीण गृह रक्षकों के निर्धारित संख्या का वितरण सम्बन्धित जिला पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। इस में स्थानीय अनु0जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व हेतु कार्मिक विभाग से निर्गत आरक्षण सम्बन्धी परिपत्र के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

2) ग्रामीण गृहरक्षक में तत्काल केवल पुरुषों को नामांकित किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के लिये शहरी पुरुषों एवं शहरी महिलाओं का नामांकन किया जायेगा।

3) बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियम 1953 के नियम (4) के अनुसार गृहरक्षकों के लिए नामांकन की अर्हताएं निम्नवत है।

i) उम्र:- दिनांक 01 जनवरी 2009 को कम-से-कम 19 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।

ii) शैक्षणिक योग्यता :- पंचम उत्तीर्ण।

iii) उँचाई:- 5'-4" (162.56 से.मी.) पूर्णिया एवं सहरसा जिला के लिए 5'-2" (157.5 से.मी.)

iv) सीना बिना फुलाये:- 31" (79 से.मी.); सहरसा एवं पूर्णिया के लिये 30" (76 से.मी.)

v) चरित्र:- स्वच्छ

vi) शारीरिक योग्यता:- शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिये सक्षम।

शहरी महिला गृह रक्षकों के लिये उपर्युक्त कंडिका के क्रमांक (i) (ii) (v) एवं (vi) में अंकित अर्हताएं समान होंगी किन्तु शहरी महिला अभ्यर्थियों के सभी वर्गों के लिए न्यूनतम उँचाई 153 से0मी0 होगी। महिलाओं के सीना का माप नहीं होगा।

4) शारीरिक सक्षमता की जांच का मापदण्ड निम्नवत होगा :-

i) दौड़ पुरुषों के लिए:-

एक मील की दौड़ के लिये समय सीमा 06 मिनट।

(अधिक समय लेने वाले असफल घोषित होंगे)

ii) दौड़ महिलाओं के लिए:-

800 मीटर की दौड़ 05 मिनट के अन्दर पूरी करनी होगी । अधिक समय लेने वाली असफल घोषित होंगी ।

दौड़ में सफल होना अनिवार्य होगा ।

इसमें कोई अंक नहीं दिया जायेगा ।

iii) उँची कूद (पुरुष के लिए)-

न्यूनतम 04 फीट (कोई अंक नहीं)

<u>ऊँचाई</u>	<u>अंक</u>
4 फीट से ऊपर 4 फीट 3 इंच तक के लिए	- 01 अंक
4 फीट 3 इंच से ऊपर 4 फीट 6 इंच तक के लिए	- 02 अंक
4 फीट 6 इंच से ऊपर 4 फीट 9 इंच तक के लिए	- 03 अंक
4 फीट 9 इंच से ऊपर 5 फीट तक के लिए	- 04 अंक
5 फीट से ऊपर के लिए	- 05 अंक

उँची कूद (महिलाओं के लिए)-

न्यूनतम 03 फीट (कोई अंक नहीं)

<u>ऊँचाई</u>	<u>अंक</u>
3 फीट से ऊपर 3 फीट 3 इंच तक के लिए	- 01 अंक
3 फीट 3 इंच से ऊपर 3 फीट 6 इंच तक के लिए	- 02 अंक
3 फीट 6 इंच से ऊपर 3 फीट 9 इंच तक के लिए	- 03 अंक
3 फीट 9 इंच से ऊपर 4 फीट तक के लिए	- 04 अंक
4 फीट से ऊपर के लिए	- 05 अंक

iv) लंबी कूद (पुरुषों के लिए)-

न्यूनतम दूरी 12 फीट(कोई अंक नहीं)

<u>दूरी</u>	<u>अंक</u>
12 फीट से ऊपर 13 फीट तक	- 01 अंक
13 फीट से ऊपर 14 फीट तक	- 02 अंक
14 फीट से ऊपर 15 फीट तक	- 03 अंक
15 फीट से ऊपर 16 फीट तक	- 04 अंक
16 फीट से ऊपर	- 05 अंक

लंबी कूद (महिलाओं के लिए)-

न्यूनतम दूरी 09 फीट (कोई अंक नहीं)

<u>दूरी</u>	<u>अंक</u>
09 फीट से ऊपर 10 फीट तक	- 01 अंक
10 फीट से ऊपर 11 फीट तक	- 02 अंक
11 फीट से ऊपर 12 फीट तक	- 03 अंक
12 फीट से ऊपर 13 फीट तक	- 04 अंक
13 फीट से ऊपर	- 05 अंक

v) गोला फेंक (पुरुषों के लिए)- 16 पौंड का गोला 16 फीट न्यूनतम फेंकना होगा ।

(कोई अंक नहीं)

<u>दूरी</u>	<u>अंक</u>
16 फीट से ऊपर 17 फीट तक	- 01 अंक
17 फीट से ऊपर 18 फीट तक	- 02 अंक
18 फीट से ऊपर 19 फीट तक	- 03 अंक
19 फीट से ऊपर 20 फीट तक	- 04 अंक
20 फीट से ऊपर	- 05 अंक

गोला फेंक (महिलाओं के लिए)- 12 पौंड का गोला 10 फीट न्यूनतम फेंकना होगा ।

(कोई अंक नहीं)

<u>दूरी</u>	<u>अंक</u>
10 फीट से ऊपर 11 फीट तक	- 01 अंक
11 फीट से ऊपर 12 फीट तक	- 02 अंक
12 फीट से ऊपर 13 फीट तक	- 03 अंक
13 फीट से ऊपर 14 फीट तक	- 04 अंक
14 फीट से अधिक दूरी तक	- 05 अंक

5) चिकित्सकीय परीक्षण:- नामांकन के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य का चिकित्सकीय परीक्षण किया जायेगा। आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, फ्लैट फूट, नॉकिंग नी इत्यादि की जाँच की जायेगी। योग्य पाये जाने वाले का ही यथानियम नामांकन किया जायेगा।

6) आक्सीलियरी फोर्स ऑफ इण्डिया या टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य इस में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होंगे।

7) गृह रक्षकों के चयन हेतु जिला चयन समिति का गठन बिहार होमगार्ड्स रूल्स 1953 के नियम 5(4)(i)(ii)(ए) के अनुसार निम्नवत होगा:-

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| i) जिला पदाधिकारी | - अध्यक्ष |
| ii) पुलिस अधीक्षक | - सदस्य |
| iii) जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी | - सदस्य सूचिव |
| iv) जिला कल्याण पदाधिकारी | - सदस्य |

जिला चयन समिति इच्छुक, योग्य एवं स्वस्थ युवक/ युवतियों का चयन बिहार होमगार्ड रूल्स, 1953 के नियम 04 एवं 05 के अनुसार करते हुए अपनी अनुशंसा जिला पदाधिकारी को देंगे। जिला पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में मेघासूची प्रकाशित कराते हुये बाण्ड इत्यादि भरवाने की कार्रवाई पूर्ण करायेंगे। स्वच्छ नामांकित गृहरक्षकों की सूची (पूर्ण विवरण के साथ) जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना को भेजी जायेगी।

8) स्वयंसेवी गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन एवं चयन इस शर्त के साथ किया जायेगा कि वे कम से कम तीन वर्षों की सेवा गृह रक्षा वाहिनी, बिहार को देंगे। तदनुसार चयनोपरान्त उन्हें बाण्ड भरना होगा।

9) इच्छुक उम्मीदवार आवेदन-पत्र के निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन-पत्र जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालय में जमा करेंगे। विज्ञापन सं०- 01/2006 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के तहत नामांकन के चयन में असफल उम्मीदवार भी पुनः इस परीक्षा में विहित प्रपत्र में अपना आवेदन-पत्र भरकर शामिल हो सकते हैं। जिला समादेष्टा कार्यालय से उन्हें आवेदन-पत्र की पावती रसीद अनुक्रमांक के साथ दी जायेगी। ग्रामीण गृहरक्षकों के लिये यह आवेदन-पत्र प्रखण्डवार संधारित पंजी में प्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक जिला समादेष्टा अपने कार्यालय में एक नामांकन कोषांग गठित करेंगे जिस के प्रभारी वे स्वयं रहेंगे। आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित उम्मीदवार द्वारा आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन के समय उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अपने साथ लायेंगे।

10) आवेदन पत्र का प्रपत्र निम्नानुसार है:-

गृहरक्षक में नामांकन का प्रपत्र-अ
नियम 5(4) बिहार होमगार्ड रूल्स 1953
विज्ञापन सं०-01/2009.

आवेदक अपना
हाल का फोटो
चिपकाये
(पासपोर्ट साईज)

जिला..... प्रखंड का नाम: रोल नं०

(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

1. आप का नाम क्या है तथा ऊचाई कितनी है ?.....
2. आपके पिता का नाम और पता क्या है ?.....
3. क्या आप भारतीय नागरिक है ?.....
4. आप का गांव, थाना, प्रखंड और जिला क्या है ?.....
(स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है, संलग्न करें)
5. आपका डाकखाना कौन-सा है ?.....
6. आपका रेलवे स्टेशन कौन-सा है ?.....
7. आप इस वक्त किस धंधे, व्यवसाय या रोजगार में हैं ?.....
8. आपका धर्म और जाति क्या है ? (आरक्षण कोटि)
9. आप कहाँ काम करते हैं ?
10. आपकी शिक्षा कितनी है ?(शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
11. 1 जनवरी, 2009 को आपकी उम्र क्या है ? (आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

12. क्या आपको कभी किसी फौजदारी कचहरी से सजा हुई है ? अगर हुई है, तो किन दफाओं में ? और क्या सजा हुई थी ?
13. क्या आप अभी भारतीय सेना, नौ-सेना या हवाई ब्रिगेड में, रिजर्व या भारतीय स्टेट्स फौज या नेपाल स्टेट सेना या पुलिस दस्ते में है ?
14. क्या आप कभी भारतीय सेना, नौ-सेना या हवाई ब्रिगेड में, रिजर्व या इण्डियन डिफेंस फोर्स या भारतीय स्टेट्स फौज या नेपाल स्टेट सेना में थे ? अगर थे तो किसमें, और कितने दिनों तक तथा हटये जाने का कारण क्या था ?
15. क्या आप बिहार होम गार्ड्स ऐक्ट, 1947, के अनुसार नामांकित होना चाहते हैं ?
16. ऐक्ट या रूल्स में बताये अनुसार क्या आप ट्रेनिंग पाने और काम करने को तैयार है ? तथा अपने कर्तव्यपालन में जातीय पक्षपात तो नहीं आने देंगे ?
17. क्या आप ऐक्ट की शर्तों के मुताबिक तबतक काम करने को राजी हैं जबतक हटये नहीं जाते ?
18. क्या आपने पहले कभी ऐक्ट के अनुसार नामांकन की दरखास्त की थी, और अगर की थी तो उसका क्या फल हुआ ?
19. क्या आप फौज या पुलिस से निकाले गये हैं ?
20. क्या टीका लेने को या दुबारा टीका दिलवाने को तैयार हैं ?
21. और कोई विवरणी जिसे उम्मीदवार देना चाहे

घोषणा-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दी गयी सूचनायें तथा संलग्न प्रमाण-पत्र सही हैं । मिथ्या पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी एवं नामांकन कभी भी बिना सूचना के रद्द की जा सकती है ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र स्त्री पावती-पत्र

श्री पिता का नाम श्री

पता

से आवेदन पत्र प्राप्त किया, जिला प्रखण्ड जिसका क्रमांक है ।

आवेदक अपना हाल का फोटो चिपकायें (पासपोर्ट साईज)

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
जिला समादेष्टा कार्यालय

11) आवेदन पत्र दिनांक ८ दिसम्बर, २००९ से २३ दिसम्बर, २००९ तक कार्यालय अवधि में उपरोक्त जिलों के जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालय में प्राप्त (जमा) किया जायेगा।

12) नामांकन हेतु चयन की तिथि तथा स्थान की सूचना पुनः यथासमय विज्ञापित की जायेगी ।

10. 11. 05
महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ,
बिहार, पटना ।